संख्या- /उन्तीस(2)/21-2(183पे0)/2021

प्रेषक,

डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,

जल जीवन मिशन उत्तराखण्ड,

देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादून: दिनांकः मार्च, 2022

विषय:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर की भुड्डी (ट्यूबवैल) पम्पिंग पेयजल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, देहरादून के पत्रांक 1205/श्रश्रड.154ध्2021.22 दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 के क्रम मंे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर की भुड्डी (ट्यूबवैल) पम्पिंग पेयजल योजना की व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत/अनुमोदित (सैंटेज रहित) लागत रू0 1046.04 लाख (रू0 दस करोड़ छियालीस लाख चार हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

;पद्ध योजना के निर्माण से पूर्व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्य स्थल के निरीक्षण के उपरान्त पेयजल योजना के डवेज म्बवदवउपब ध्ज्मबीदपबंससल मिंेपइसम विकल्प का चयन कर यह प्रमाण पत्र देंगे कि इससे अधिक मितव्ययी विकल्प उपलब्ध नहीं है, तदनुसार नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाए।

;पपद्ध जनसंख्या की गणना के संबंध में तहसील के पिछले 02 दशक के आंकडों के आधार पर जनसंख्या की गणना करने के उपरांत ही परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए।

;पपद्ध कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करे कि डिजायन वर्ष में पेयजल मांग के अनुरूप न्यूनतम जल की मात्रा जल स्रोत में योजना की डिजायन अवधि तक अवश्य उपलब्ध रहे।

;पअद्ध योजना के कार्याें पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

;अद्ध निर्माण सामग्री यथा रेत बजरी, ईंट, ब्मउमदजण् ैजममसए च्पचम एवं अन्य निर्माण सामग्री का ैण्प्ण् ब्वकम के मानकों के अनुरूप छण्।ण्ठण्स्ण् स्ंइवतंजवतल से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाए।

;अपद्ध आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार से दरें ली गयी हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां उल्लिखित हैं विशिष्टियों एवं दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति मंे प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आंगणन मंे समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

;अपपद्ध योजना में प्राविधानित च्संदज ंदक म्ुनपचउमदज की आपूर्ति हेतु ब्वेज मििमबजपअमदमेे तथा म्दमतहल मििपबपमदज ेलेजमउ के अनुरूप कार्यवाही का विशेष ध्यान दिया जाए।

;अपपपद्ध आंगणन में प्राविधानित नॉन शिडयूल मदों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

;पगद्ध व्यय वित्त समिति के कार्य वृत्त के प्रस्तर-4.10 से 4.12 पर राज्य योजना आयोग के अभिमत का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। (कार्यवृत्त की प्रति संलग्न)

;गद्ध मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव मानकानुसार स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

;गपद्ध कार्य का तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य अवश्यमेव कराया जाए।

;गपपद्ध योजना हेतु धनराशि का आहरण/व्यय, संचालन, रख रखाव एवं कार्य समबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशांे, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रभावी दिशा-निर्देशों तथा अन्य संगत वित्तीय नियमों/निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।

;गपपपद्ध स्वीकृत की जा रही योजना हेतु धनराशि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दी जायेगी तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन मदों व योजनाओं के लिए धनराशि निर्गत की जा रही है। उसी मद/योजना में व्यय की जाये।

;गपअद्ध राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा केन्द्रांश व राज्यांश से निर्मित योजना के कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

;गअद्ध योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित व वर्तमान में प्रभावी दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में लागू संगत नियमों/निर्देशों के अनुसार ही किया जाय।

;गअपद्ध कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

;गअपपद्ध कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार समक्ष प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

;गअपपपद्ध निर्माण कार्य पर अनुमोदित लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाए और न ही अनुमोदित आंगणन में इंगित कार्य एवं मात्रा से अधिक कार्य किया जाए।

;गपगद्ध कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

;गगद्ध कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

;गगपद्ध उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमांे, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्त व्यय समिति के दिशा-निर्देशो का अक्षरतः पालन सुनिश्चित किया जाय।

;गगपपद्ध निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

;गगपपपद्ध आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

;गगपअद्ध योजना में जल जीवन मिशन, सामुदायिक अंश, मनरेगा, 15 वां वित्त आयोग तथा अन्य किसी कार्यक्रम जैसा कि योजना के प्राक्कलनों में उल्लिखित है के अनुसार वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में अनियमितता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

;गगअद्ध निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

;गगअपद्ध उक्त योजना हेतु धनराशि का व्यय जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत समय-समय पर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली 90 प्रतिशत धनराशि एवं उसके सापेक्ष 10 प्रतिशत राज्यांश जिसे विभिन्न शासनादेशों के माध्यम के समय-समय पर निर्गत किया गया/किया जायेगा से किया जायेगा।

;गगअपपद्ध प्राक्कलन डी0पी0आर0 का पुनरीक्षण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा।

2. यह आदेश शासनादेश सं0 1204/उन्तीस(1)/2021-(01अधि0)2020 दिनांक 10 सितम्बर, 2021 मंे विहित प्रतिनिधायन तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 1446/ग्ग्टप्प्(2)/2021-22 दिनांक 29 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)

अपर सचिव

पृ0संख्या- /उन्तीस(2)/21-2(183पे0)/2021,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2-महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3-प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून।

4-मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।

5-वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।

6-बजट निदेशालय, देहरादून।

7-वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।

8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)

संयुक्त सचिव